संख्या : 4315/चि-2/736(चि0)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2001

विषय :- उत्तरांचल के बड़े राजकीय चिकित्सालयों में आधुनिकतम विशिष्ट उपकरणों की स्थापना निजी क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 15प/प0/102/2001/19674 दिनांक 01 दिसम्बर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उत्तरांचल के निम्नलिखित 05 बड़े राजकीय चिकित्सालयों में उनके सम्मुख अंकित आधुनिकतम विशिष्ट उपकरणों की स्थापना निजी क्षेत्र की संस्थाओ के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रस्तर-2 में उल्लेखित शर्तो के अधीन कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) दून चिकित्सालय, देहरादून
- सी.टी. स्कैन
- टी.एम.टी. मशीन
- इको कार्डियोग्राम

(2) बी.डी. पाण्डे पुरूष चिकित्सालय, नैनीताल
- इको कार्डियोग्राम

(3) बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा
- सी.टी. स्कैन
- इको कार्डियोग्राम

(4) बेस चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल
- सी.टी. स्कैन
- टी.एम.टी. मशीन
- इको कार्डियोग्राम

(5) बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी
- सी.टी. स्कैन
- इको कार्डियोग्राम

2. 1(क) उपकरणों की स्थापना हेतु संबंधित निजी फर्म/ संस्था को लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा।

(ख) लाइसेन्स संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदान किया जायेगा।

2. लाइसेन्स टैण्डर समिति द्वारा निर्धारित दर/रेट पर प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिकतम किश्त (प्रीमियम) देने वाले प्रतिभागी को दिया जायेगा। टैण्डर समिति द्वारा प्रथमत: उपकरणों के विभिन्न डायग्नोसिस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल के दिशा-निर्देशों के अनुसार रेट/दर की संस्तुति की जायेगी जिसका अनुमोदन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल द्वारा प्रदान किया जायेगा।

3. तदोपरान्त उपरोक्त उपकरणों की स्थापना हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जायेगी। निविदा कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी, जिनमें से एक समाचार पत्र क्षेत्रीय स्तर का तथा एक राष्ट्रीय स्तर का होगा।

4. लाइसेन्स प्रीमियम की धनराशि अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर देय होगी।

5. प्राप्त निविदाओं की समीक्षा हेतु निम्नवत निविदा समिति गठित होगी :-

1.	संबंधित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	: अध्यक्ष
2.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	: सदस्य
3.	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल द्वारा नामित रेडियोलोजिस्ट/ कार्डियोलोजिस्ट	: सदस्य

6. जिस निजी फर्म/संस्था को लाइसेन्स दिया जायेगा, उसके द्वारा केवल प्रतिष्ठित फर्मो द्वारा निर्मित नये उपकरण ही स्थापित किये जायेंगे।

7. उपकरणों की स्थापना हेतु जिस प्रतिभागी को लाइसेन्स दिया जायेगा, उपकरणो के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। इसके अतिरिक्त उपकरणों को गुणवत्ता के उच्च मानकों के अनुसार उनके सही संचालन का उत्तरदायित्व भी संबंधित निजी फर्म/ संस्था का होगा। यदि उपकरण 7 दिन से अधिक समय से खराब रहेगा अथवा उसका संचालन सही गुणवत्ता के अनुसार नहीं होता है या चिकित्सालय के रोगियों अथवा चिकित्सकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लाइसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. उपकरणों हेतु भवन संबंधित राजकीय चिकित्सालय द्वारा "जैसा है जहाँ है" के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा उपकरण लगाने पूर्व उसे क्रियाशील करने हेतु भवन की मरम्मत, सुधार तथा साज-सज्जा आदि में होने

वाले व्यय का वहन संबंधित निजी फर्म/संस्था द्वारा किया जायेगा।

9. चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. संबंधित निजी फर्म/संस्था द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था एवं विद्युत व्ययभार तथा उपकरण के संचालन से संबंधित समस्त व्ययभार स्वयं वहन किया जायेगा।

11. निजी फर्म/ संस्था को जिस उपकरण हेतु लाइसेन्स दिया जायेगा उसके अतिरिक्त वह अन्य कोई उपकरण/मशीन स्थापित नहीं कर सकेगी।

12. लाइसेन्स अवधि को समाप्ति पर यथास्थिति सिविल कार्यो आदि में निजी संस्था द्वारा किये गये सुधार कार्यो सहित भवन शासन को हस्तान्तरित किया जायेगा लेकिन लगाए गये उपकरण आदि निवेशक के पास ही रहेंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थाओं को राजकीय चिकित्सालयों में उपकरणों की स्थापना किये जाने हेतु लाइसेन्स की अवधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करके प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में पृथक से निर्णय लिया जा सके।

4. उत्तरांचल राज्य के अन्य चिकित्सालयों में उक्त वर्णित उपकरणों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों को स्थापना के संबंध में भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की जायें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव